मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 94/16 वाद पत्र

उनवान

1–बाबू पिता मांगु खटीक नि0 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–जमनी बेवा मांगु खटीक नि0 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राघव स्वरूप भट्ट पिता रघुवीर भट्ट नि0 जयपुर हाल अनुज्ञाधारक मैसर्स ए.एण्ड.ए माईन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लि0 संचालन स्थल कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी द्वारा तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोट की आराजी नम्बर 654 रकबा 1.70 हे0 मे खनन किया जाना पाया गया प्रार्थी की आराजी मे किसी प्रकार का खनन नही किया जा रहा है जिस आराजी नम्बर 654 रकबा 1.73 हे0 मे खनन किया जा रहा है वह क्षैत्र एम एल नम्बर 289/06 के स्वीकृत परिधीय क्षैत्र मे आता है। मौके पर मुताबिक रिकार्ड रास्ता खुला हुआ है। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा जो कथन अभिलिखित किये है वह रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार गलत है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

26/5/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 26.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 94/16 वाद पत्र

उनवान

1–बाबू पिता मांगु खटीक नि0 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–जमनी बेवा मांगु खटीक नि0 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राघव स्वरूप भट्ट पिता रघुवीर भट्ट नि0 जयपुर हाल अनुज्ञाधारक मैसर्स ए.एण्ड.ए माईन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लि0 संचालन स्थल कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

सुनिल जैन — **अधिवक्ता वादीगण**
फारूख मोहम्मद — **अधिवक्ता प्रतिवादी**

निर्णय

दिनांक 26.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोट मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 656 रकबा 1.08 हे0 भूमि स्थित है। जिस पर वादीगण साधिकार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण की उक्त आराजी की पश्चिम दिशा की ओर बिलानाम गैर काबिल काश्त गे0मु0 रास्ता आराजी संख्या 653 रकबा 0.11 हे0 व आराजी संख्या 655 रकबा 0.11 हे0 के रूप मे अवस्थित है। प्रमाण मे जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति हमरा वाद पत्र के साथ पेश है। प्रतिवादी आराजी संख्या 654 रकबा 1.73 हे0 का सहखातेदार होकर उक्त आराजी मे प्रतिवादी का 1/3 हक व हिस्सा निहित होकर अन्य खातेदारो के साथ संयुक्त रूप दर्ज अभिलेख है। जिसमे प्रतिवादी वर्तमान मे खनन कार्य कर रहा है। प्रतिवादी ने अपनी आराजी संख्या 654 के अलावा वादीगण की आराजी संख्या 656 पर बिना वादीगण की सहमति के अवैधानिक रूप से खनन कार्य करने का दिनांक 01.06.2016 को दुसाहस किया है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध उसकी आराजी संख्या 656 पर प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार की दखंलनदाजी व अवैध खनन कार्य न तो स्वयं और न अन्य द्वारा करवाने बाबत् एक वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व उसके साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई स्थगन आदेश जारी किया गया। प्रतिवादी ने उक्त अंतरित अस्थाई स्थगन माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्ववतः वाद पत्र मे जारी किये जाने के पश्चात प्रतिवादी ने अपनी ताकत के बल पर वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 656 के पश्चिमी ओर अवस्थित बिलानाम गैर काबिल काश्त गे0मु0 रास्ता जिसके आराजी संख्या 653 व 655 है पर अवैधानिक रूप से खनन कार्य करने मे प्रयुक्त होने वाला सामान व मशीनरी को दिनांक 10.08.2016 को रास्ते के भू भाग पर जमाव कर दिया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी को उक्त रास्ते पर से खनन कार्य मे प्रयुक्त होने वाला सामान व मशीनरी तथा रास्ते के भू भाग मे खनन कार्य नही करने बाबत् प्रतिवादी को उक्त दिनांक को ही कहां तो प्रतिवादी ने वादीगण को प्रत्युत्तर मे यह कहा कि अब किसी भी किमत पर उक्त रास्ते के भू भाग मे खनन कार्य होकर ही रहेगा जबकि प्रतिवादी को यह पूर्णतया ध्यान है कि वह रास्ते के भू भाग मे खनन कार्य करने हेतु अधिकृत नही है फिर भी वह उक्त अवैधानिक कृत्य करने पर आमादा हो रहा है। जिससे प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह वादीगण की आराजी संख्या 656 के पश्चिमी ओर अवस्थित बिलानाम गैर काबिल काश्त गे0मु0 रास्ते पर जिसके आराजी संख्या 653 व 655 हे0 पर किसी भी प्रकार से खनन कार्य मे प्रयुक्त होने वाला सामान व मशीनरी का जमाव नही करे तथा न ही

उक्त रास्ते के भू भाग पर किसी प्रकार कोई खनन कार्य न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे यदि दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी उक्त रास्ते के भू भाग मे किसी प्रकार का कोई अवैध खनन कार्य करने हेतु उसमे प्रयुक्त होने वाला सामान व मशीनरी का जमाव कर देता है या रास्ते के भू भाग ने उसके द्वारा अवैधानिक खनन कार्य करने पर रास्ते का स्वरूप बिगाड़ देता है तो उसे जरिये आदेशात्मक आज्ञा से प्रतिवादी स्वयं के खर्चे से रास्ते की पूर्ववत स्थिति बहाल कराई जावे अर्थात प्रतिवादी द्वारा रास्ते के भू भाग किये गये किसी प्रकार के अवरोध को प्रतिवादी खर्चे से हटाया जावे। बिनाय वाद दिनांक 01.06.2016 एवं दिनांक 10.08.2016 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह वाद पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार केम्प में भी नोटिस जारी किये गये। जिसमे वादीगण उपस्थित है तथा प्रतिवादी का अधिवक्ता उपस्थित है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से भूमि की मौके की जांच कर तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्देशानुसार राजस्व विभाग की टीम गठित कर दिनांक 09.07.2016 को सिमांकन किया गया मौके पर विपक्षी द्वारा आराजी नम्बर 654 रकबा 1.70 हे0 मे खनन किया जाना पाया गया प्रार्थी की आराजी मे किसी प्रकार का खनन नही किया जा रहा है जिस आराजी नम्बर 654 रकबा 1.73 हे0 मे खनन किया जा रहा है वह क्षेत्र एम एल नम्बर 289/06 के स्वीकृत परिधीय क्षेत्र मे आता है। मौके पर मुताबिक रिकार्ड रास्ता खुला हुआ है। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा जो कथन अभिलिखित किये है वह रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार गलत है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोट की आराजी नम्बर 654 रकबा 1.70 हे0 मे खनन किया जाना पाया गया प्रार्थी की आराजी मे किसी प्रकार का खनन नहीं किया ज़ा रहा है जिस आराजी नम्बर 654 रकबा 1.73 हे0 मे खनन किया जा रहा है वह क्षेत्र एम एल नम्बर 289/06 के स्वीकृत परिधीय क्षेत्र मे आता है। मौके पर मुताबिक रिकार्ड रास्ता खुला हुआ है। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा जो कथन अभिलिखित किये है वह रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार गलत है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोट की आराजी नम्बर 654 रकबा 1.70 हे0 मे खनन किया जाना पाया गया प्रार्थी की आराजी मे किसी प्रकार का खनन नही किया जा रहा है जिस आराजी नम्बर 654 रकबा 1.73 हे0 मे खनन किया जा रहा है वह क्षेत्र एम एल नम्बर 289/06 के स्वीकृत परिधीय क्षेत्र मे आता है। मौके पर मुताबिक रिकार्ड रास्ता खुला हुआ है। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा जो कथन अभिलिखित किये है वह रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार गलत है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

26/5/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा